



भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीपज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096

टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,

ईमेल- / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना

विषय:- सीपज़-सेज़ प्राधिकरण मुंबई से गैर जोखिम वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निविदा ।

सीपज़ – सेज़ प्राधिकरण छमाही (छह महीनों) के आधार पर निम्नलिखित गैर जोखिम वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है:-

क्रम संख्या	ब्यौरा
1	मिश्र कचरा
2	मिश्र अपशिष्ट
3	मिश्र प्लास्टिक
4	कार्डबोर्ड / कार्टून
5	ग्लास
6	लकड़ी
7	एलडी / एचडी प्लास्टिक
8	मेटल स्क्रेप
9	थर्मालकोल
10	सफेद कागज
11	रंगीन कागज

➤ निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया:-

1. जिस लिफाफे में कोटेशन रखा जाए उसके ऊपर "सीपज़-सेज़ प्राधिकरण मुंबई से गैर जोखिम वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निविदा" लिखा जाए । एजेन्सी का नाम लिफाफे पर लिखा जाए ।
2. लिफाफे में निम्नानुसार रखा जाए:-
 - क. वित्तीय कोटेशन में ऊपर दर्शाए गए प्रत्येक आइटम के लिए अलग – अलग प्रति केजी दरों (संलग्नक "क") का उल्लेख किया जाए । तथापि, पिछले 6 महीनों के दौरान वजन किए गए कचरे के औसत के आधार पर परिकलित कुल मूल्य के आधार पर निविदा दी जाएगी ।
 - ख. बयाना राशि जमा के रूप में मुंबई में देय "सीपज़ – सेज़ प्राधिकरण निधि" के पक्ष में 50,000/- (पचास हजार रू.) की राशि का बैंक ड्राफ्ट ।
 - ग. पैनकार्ड तथा जीएसटी पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

घ. बोलीदाता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से, बोलीदाता को विधिवत नोटरीकृत 10/- रू. के स्टॉप पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. निविदाएं भूमि तल पर स्थित विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़ – सेज़, मुंबई के आवक अनुभाग के निकट रखे निविदा पेटी में डाली जाएं।
4. यदि बोलीदाता उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा अस्वीकृत हो जाएगी तथा इस संबंध में कोई अपील / अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक **01.06.2018** को अपराह्न **2.30 बजे** तक है। जो उसी दिन बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के उपस्थिति में अपराह्न **04.00 बजे** खोली जाएगी।

➤ संविदा से संबंधित निबंधन एवं शर्तें:-

1. सफल बोलीदाता को कायदेशि जारी किए जाने के 3 दिनों के अंदर प्रतिभूति जमा के रूप में 5,00,000/- (पाच लाख रू.) जमा करना होगा।
2. जमा किए गए 5,00,000/- (पाच लाख रू.) के समाप्त होने पर बोलीदाता को बाद में कचरा उठाने के लिए अग्रिम जमा करना होगा।
3. सफल बोलीदाता को प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति के रूप में 2,00,000/- (दो लाख रू.) की राशि जमा करनी होगी।
4. निविदा संविदा दिए जाने की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए दी जाएगी।
5. दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से रोज कम से कम 2 वाहन कचरा उठाएंगे, ऐसा न करने पर प्रति दिन प्रति वाहन के हिसाब से 5,000/- (पाच हजार रू.) का अर्थदंड लगाया जाएगा। यदि कचरा 1 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं उठाया जाता है, तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी तथा बोलीदाता का नाम काली सूची में डाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदा बिना कोई नया कोटेशन मंगाए अगले सर्वोच्च बोलीदाता को दे दी जाएगी। कचरा उठाने का समय शनिवार, रविवार तथा सरकारी अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगा।
6. सफल बोलीदाता को वाहन के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बोलीदाता को बिना वाहन के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. कचरा उठाए जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कचरा कुंडी साफ रहे। कचरा फेकने के स्थान पर कचरा जमा न किया जाए।

Handwritten signature

8. कचरा रोज उठाया जाए।
9. प्राधिकरण के बिल अनुभाग द्वारा गैर खतरेवाले ठोस अपशिष्टों का वजन स्वीकृत कोटेशन की दरों के अनुसार निर्धारित किए जाने के पश्चात बिल बनाया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिल पर लागू करों का भी भुगतान करना होगा।
10. बोलीदाताओं को निविदा सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।



(महेश यादव)
संपदा प्रबंधक,
सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण

सं.सीप्ल-सेज़/ईएमएस/डब्ल्यूटी/जीसी/67/2014-15/वॉल्यू-IV/12883

दिनांक 18/05/2018

सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण मुंबई से गैर जोखिम वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए वित्तीय बोली।

क्रम संख्या	ब्यौरा	प्रति केजी दर
1	मिश्र कचरा	
2	मिश्र अपशिष्ट	
3	मिश्र प्लास्टिक	
4	कार्डबोर्ड / कार्टून	
5	ग्लास	
6	लकड़ी	
7	एलडी / एचडी प्लास्टिक	
8	मेटल स्क्रेप	
9	थर्माकोल	
10	सफेद कागज	
11	रंगीन कागज	

दिनांक: _____

मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर



सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. प्रत्येक निविदादाताओं को अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पहले निबंधन एवं शर्तों को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। ऐसा कोई बहाना कि शर्तें नहीं पढ़ी गई / नहीं समझी गई, बाद में किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. मुहरबंद लिफाफे में बोली प्रस्तुत की जाए जो संपदा प्रबंधक, सीप्ल - सेज़ प्राधिकरण, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400096 को संबोधित हो तथा जिसके ऊपर यह लिखा गया हो "सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण मुंबई से गैर जोखिम वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निविदा"।
3. बोलियां अंग्रेजी / हिंदी में अवश्य लिखी जाएं। बोली के संबंध में तथा बोली से उत्पन्न होने वाले सभी पत्राचार अंग्रेजी / हिंदी में होंगे।
4. एकल आवरण प्रणाली अपनाई जाएगी। संगत विवरण तथा सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ निबंधन एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति, जमा बयाना राशि तथा संलग्नक "क" एक लिफाफे में रखकर उसे मुहरबंद करके जिसके ऊपर यह लिखा हो "सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण मुंबई से गैर जोखिम वाले ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निविदा" प्रस्तुत किया जाए। ऐसी सामग्रियां स्वीकार नहीं की जाएगी जो मुहरबंद न हों।
5. निविदादाता अपनी निविदा के हिस्से के रूप में 50,000/- रु. की बयाना राशि जमा करेगा। यह बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी "सीप्ल सेज़ प्राधिकरण निधि" के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंक पर आहरित तथा मुंबई में देय होगी।
6. बोलीदाताओं द्वारा बयाना जमा राशि की छूट भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के अनुसार लागू होगी। असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि यथासंभव उन्मोचित की जाएगी अथवा लौटाई जाएगी। सफल बोलीदाता की बयाना राशि बोलीदाता के संविदा पर हस्ताक्षर करने पर उपरांत डिस्चार्ज की जाएगी।
7. बोलीदाता द्वारा निविदा फॉर्म पर निर्दिष्ट निविदा की वैधता अवधि के दौरान यदि निविदा वापस ली जाती है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. निविदा विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ल - सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई के कार्यालय में दिनांक 01.06.2018 को अपराह्न 04.00 बजे सार्वजनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।
9. निर्धारित तारीख के पश्चात सीप्ल - सेज़ प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जाने वाली निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
10. सीप्ल - सेज़ प्राधिकरण ऐसे सफल निविदादाता को संविदा प्रदान करेगा जिसकी निविदा निर्धारित मानदंडों तथा उद्धरित प्रतिस्पर्धी कीमत के संदर्भ में एजेन्सी की उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित की गई हो, बशर्ते कि निविदादाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की योग्यता के प्रति तत्पर हो।
11. सीप्ल - सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।



भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ईमेल - / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Tender for disposal of non-hazardous solid waste from SEEPZ-SEZ Authority, Mumbai.

The SEEPZ-SEZ Authority invites sealed quotations for disposal of following non-hazardous solid waste on half-yearly (six months) basis.

Sr No.	Particulars
1	Mix Garbage
2	Mix Waste
3	Mix Plastic
4	Cardboard/ Carton
5	Glass
6	Wood
7	LD / HD Plastic
8	Metal Scrap
9	Thermacol
10	White Paper
11	Colour Paper

➤ PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER:


1. The envelope containing quotation shall be super scribed as "Tender for disposal of non-hazardous solid waste from SEEPZ-SEZ Authority". Name of the agency should be mentioned on the envelope.
2. The envelope shall contain following:-
 - a. Financial quote shall indicate rate per kg. (Annexure-A) offered for each item separately as indicated above. However, the award will be on the basis of total value calculated on the basis of weighted average garbage of last six months.
 - b. Demand Draft of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) in favour of "SEEPZ-SEZ Authority Fund" payable at Mumbai as Earnest Money Deposit.
 - c. Self certified copies of PAN and GST Registration.

- d. Bidder should not have criminal background. With the effect, bidder have to submit an affidavit on Rs. 10/- stamp paper duly notarized.
3. The tender shall be deposited in the tender box kept at ground floor near Inward Section of Development Commissioner's Office, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai – 400 096.
 4. If bidder not complying with the conditions, in that situation the tender will be rejected and no appeal/request will be entertained.
 5. Last date for submission of quotation is **01.06.2018 till 2:30 p.m.** and same will be opened at **04:00 p.m.** on same day in the presence of bidders or their representatives.

➤ **TERMS & CONDITIONS OF CONTRACT:**

1. The successful bidder shall deposit Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakh) within 03 days from issuing Work Order as Security Deposit.
2. Once deposited Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakh) is exhausted, advance shall be deposited by the bidder for subsequent lifting of garbage.
3. The successful bidder will be required to deposit an amounting to Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakh) as Performance Security in addition to the Security Deposit.
4. The tender shall be awarded for a period of six (06) months from the date of award of contract.
5. **Compulsory minimum 02 nos. of vehicles garbage shall be lifted on daily basis, failing which a penalty of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) per day per vehicle will be imposed. If the garbage is not lifted for more than a week, contract shall be terminated and the bidder will be blacklisted. In that situation, tender will be given to the next highest bidder without calling any fresh quotations. The garbage lifting period will be Monday to Friday from 10:00 a.m. to 05:00 p.m., except Saturday, Sunday & Govt. Holidays.**
6. Successful bidder will be permitted to enter only along with the vehicle, without vehicle, bidder will not be permitted to enter in to the premises.
7. During lifting garbage, it ensures that the Kachara Kundi remains clean. No garbage shall be accumulated near the dump area.

8. The garbage shall be lifted on every day.
9. Bills shall be prepared by the Authority Billing Section after determination of weight of non-hazardous solid waste, as per the rate at which the quotation has been accepted. Applicable taxes on the bill will also be payable by the successful bidder.
10. Bidders shall sign each and every page of the tender notice and submit with the bid.



(Mahesh Yadav)
Estate Manager,
SEEPZ-SEZ Authority

No. SEEPZ-SEZ/EMS/WT/GC/67/2014-15/Vol-IV/12883 Dated 18/05/2018

ANNEXURE-A

FINANCIAL BID FOR DISPOSAL OF NON-HAZARDOUS SOLID WASTE FROM SEEPZ-SEZ, MUMBAI.

Sr. No.	Particulars	Rate per Kg.
1	Mix Garbage	
2	Mix Waste	
3	Mix Plastic	
4	Cardboard/ Carton	
5	Glass	
6	Wood	
7	LD / HD Plastic	
8	Metal Scrap	
9	Thermacol	
10	White Paper	
11	Colour Paper	

Date: _____

Signature of the bidder with seal



GENERAL TERMS & CONDITIONS

1. Every bidder must go through the terms and conditions carefully and understand them before submitting their tender. No excuse that the conditions have not been read/ understood will be entertained later.
2. Bidder must be delivered in sealed envelope superscribed "**Tender for Disposal of Non-Hazardous Solid Waste from SEEPZ-SEZ**" addressed to **The Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, Andheri (E), Mumbai – 400 096.**
3. Bidders must be written in English/Hindi. All correspondence in connection with or arising from a bid shall be in English/ Hindi.
4. Single cover systems will be adopted. Signed copy of terms and conditions, EMD and Annexure "A" filled in with relevant details along with all mandatory documents should be placed in an envelope, sealed and superscribed "**Tender for Disposal of Non-Hazardous Solid Waste from SEEPZ-SEZ**" on the top of the envelope. Unsealed materials will not be accepted.
5. The Tenderer shall furnish, as a part of its tender, *Earnest Money of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand)*. The Earnest Money shall be in the form of Demand Draft/Pay Order drawn on any Nationalized or Scheduled Bank in favour of "**SEEPZ-SEZ Authority Fund**" payable at **Mumbai**.
6. Any tender not accompanied by EMD will be rejected. Submission of EMD exemption by the bidders will be applicable as per Govt. of India's guidelines. Unsuccessful bidder's EMD will be discharged or returned as promptly as possible. The successful bidder's Earnest Money will be discharged upon the bidder's signing the contract.
7. EMD may be forfeited, in case of withdrawal of tender during the period of tender validity specified by the bidder on the tender form.
8. Tender will be opened in public on *01.06.2018 at 4:00 p.m.* in the Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai – 400 096. Bidders or their representatives may be present during the opening of tender.
9. Any tender received by the SEEPZ-SEZ Authority after the deadline, the tender will be rejected and no correspondence/communication in this regard will be entertained.
10. The SEEPZ-SEZ Authority will award the contract to the successful bidder, whose tender has been determined to be substantially responsive and finalized based on the suitability of the agency with reference to the prescribed criteria and competitiveness of the price quoted provided further that the bidder is determined to be qualified to perform the contract satisfactorily.
11. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason.